रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 1995/भाद्र 30, 1917
No. 391] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 1995/BHADRA 30, 1917

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1995

सा. का. . 660(अ):—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1995 है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1989 के नियम 8 में, उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) उपनियम (1) के अधीन पेंशन की संगणना सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए एक हजार चार सौ पचास रुपए प्रतिवर्ष की दर पर की जाएगी :

परन्तु इस नियम के अधीन देय पेंशन तथा किसी अन्य पेंशन एवं पेंशन का संराशित भाग, यदि कोई हो, जो अधिकरण में पद धारण करते समय प्राप्त किया गया या जिसको प्राप्त करने का वह हकदार है, को जोड़कर बनने वाली कुल राशि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित पेंशन की अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी ।"

[सं. ए-11014/10/95-प्र.अ.]
सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम दिनांक 26 अक्टूबर, 1989 की सा. का. नि. 930(ई) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए एवं बाद में निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए:—

(1) सा. का. नि. 52(ई) दिनांक 29-1-1991

(2) सा. का. नि. 46 (ई) दिनांक 31-1-1994

## MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1995

G.S.R. 660(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, in rule 8, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Pension under sub-rule (1) shall be calculated at the rate of rupees one thousand four hundred and fifty per annum for each completed year of service :

Provided that the aggregate amount of pension payable under this rule together with the amount of any pension including commuted portion of pension, if any, drawn or entitled to be drawn while holding office in the Tribunal shall not exceed the maximum amount of pension prescribed for a judge of the High Court.

[No. A. 11014/10/95-AT]
SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Foot Note.—The Principal Rules were published in the Gazette of India vide GSR 930(E), dated the 26th October, 1989 and subsequently amended vide Notification :—

(1) GSR 52(E), dated 29-1-1991

(2) GSR 46(E), dated 31-1-1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995